संख्याः– 73 / एक–10–2022–12(34) / 2003 टीसी–1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, जालौन, बांदा, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बदॉयू, खीरी, अमेठी, सुलतानपुर, हाथरस, सीतापुर एंव हमीरपुर ।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2022

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में शीतलहरी / पाला से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या–32–7 / 2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं0–3 (क) के प्राविधान–राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों / शरणार्थियों / प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल / अलाव क्रय करने के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 में **रू0 494.53 लाख (रू0 चार करोड़ चौरानबे लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	जनपद का नाम	कम्बल क्रय एवं अलाव जलाये जाने हेतु मांगी गई धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	वाराणसी	26.25	26.25
2	मुजफ्फरनगर	30.93	30.93
3	सहारनपुर	22.50	22.50
4	**मथुरा**	**25.00**	**25.00**
5	**सिद्धार्थनगर**	**40.90**	**40.90**
6	**मुरादाबाद**	**5.00**	**5.00**
7	**लखनऊ**	**50.00**	**28.85**
8	**जालौन**	**26.34**	**26.34**
9	**बांदा**	**56.18**	**56.18**
10	**श्रावस्ती**	**26.40**	**26.40**
11	बदायूं	**24.20**	**24.20**

12	अमेठी	69.89	69.89
13	संत कबीर नगर	7.50	7.50
14	खीरी	38.64	38.64
15	सुलतानपुर	18.50	18.50
16	हाथरस	9.00	9.00
17	सीतापुर	36.45	36.45
18	हमीरपुर	2.00	2.00
		494.53	494.53
(रू0 चार करोड़ चौरानबे लाख तिरपन हजार मात्र)			

(1) राहत सहायता के वितरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माडल कोड आफ कन्डक्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) **कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1769/एक–10–2021–12(34)/2003 टीसी–1, दिनांक 08.11.2021 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(3) आपूर्तित संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानो पर अलाव जलाने जैसी यथोचित कार्यवाही की जाए।

(5) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 8.4.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदो के अनुसार किया जायेगा।

(6) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(7) निर्बल,निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हिकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतिक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतिक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरूष/महिला, निराश्रित एवं आसहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(8) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।

(9) निशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(12) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति–युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।

(13) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई–मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(14) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के **समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022** से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(15) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(16) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत रू0 494.53 लाख (रू0 चार करोड़ चौरानबे लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड, 800–अन्य व्यय, 06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय, 08–शीतलहरी/पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय, 42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–73 (1)/एक–10–2022–12(34)/2003 टीसी–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
4–सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
6–विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8–सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9–वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-12/01/2022

प्रेषण संख्या:- 73
आवंटन आदेश संख्या:- 178-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2250000 5000000	2250000 5000000
2	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3093000 5293000	3093000 5293000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5250000	2500000 5250000
4	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2420000 5170000	2420000 5170000
5	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 2700000	500000 2700000
6	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2634000 5384000	2634000 5384000
7	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 2400000	200000 2400000
8	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5618000 8368000	5618000 8368000
9	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2625000 4275000	2625000 4275000
10	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2885000 5635000	2885000 5635000
11	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3645000 7495000	3645000 7495000
12	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3864000 11753000	3864000 11753000
13	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1850000 4600000	1850000 4600000
14	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4090000 6840000	4090000 6840000
15	हाथरस-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 3100000	900000 3100000
16	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	750000 2400000	750000 2400000
17	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2640000 4290000	2640000 4290000
18	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6989000 9189000	6989000 9189000
	योग	वर्तमान प्रगामी	49453000 99142000	49453000 99142000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ चौरानवे लाख तिरेपन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ इकानवे लाख बयालीस हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।